

आदेश की क्रम सं०
और तारीख
1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
2

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित
3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Excise Revision Case No.- 13 of 2016

Dist.: - Nalanda

**PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.**

M/s Spicy Beverage Pvt. Ltd. - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar & Ors - Respondent/ Opp. Party
(The Excise Commissioner, Bihar, Patna)

Appearance :

For the Petitioner : Sri Satyabir Bharti, Advocate.
For the OP : Sri Shambhu Prasad, G.P.

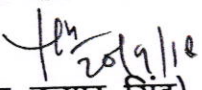
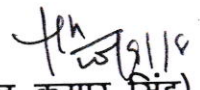
ORDER

20.09.2018

यह पुनरीक्षण वाद जिला पदाधिकारी, नालन्दा के आदेश ज्ञापांक- 489 दिनांक-11.02.2016 के विरुद्ध दायर किया गया है।

उत्पाद आयुक्त द्वारा एक टीम गठित कर विभिन्न देशी शराब दुकान एवं वेयर हाउस से सैम्पल इक्छा करा कर जाँच कराये गये एवं जाँच रिपोर्ट संबंधित समाहर्ता को समुचित कार्रवाई के लिए भेजा गया। आवेदक द्वारा निर्मित देशी शराब का नमुना दिनांक- 06.09.12 को संग्रहित किया गया था जो जांचोपरांत निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। स्पष्टतः आवेदक ने उत्पादन में गड़बड़ी कर सरकार को राजस्व की क्षति पहुँचाया है एवं स्वयं को लाभ पहुँचाया है। इस कारण समाहर्ता नालन्दा ने सम्यक विवेचना एवं विचारण पश्चात् उत्पाद अधिनियम की धारा 42 (h)(i) के आलोक में आवेदक से रु 1,12,82,328/- दण्ड स्वरूप मांग किया।

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	आवेदक ने उक्त आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद सं०-33/2012 दायर किया था। यह न्यायालय आवेदक द्वारा उठाये गये बिन्दुओं से असहमत होते हुए हुए समाहर्ता, नालन्दा को मामला Remand किया गया। जिसका मुख्य अंश निम्नवत है- "I have perused the record and the statement of facts submitted by the Collector, Nalanda, and have considered the submission and argument of both parties. The petitioner has produced no evidence material to convince that the liquor were not manufactured by him. However I find substance in the petitioners submission that the calculation of loss sustained by the state needs reconsideration, specially with regard to inclusion of movements fee. Hence, the case is remanded to the court of the learned Collector, Nalanda with the direction to have a fresh look on the issue of calculation of the quantum of penalty and decide the quantum after proper hearing of the petitioner and as per provisions of law." राजस्व पर्षद के आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. No. 21965/2014 दायर किया गया। जिसमें मा० उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक- 15.09.2015 को आदेश पारित किया गया जिसका मुख्य अंश निम्नवत है- " We further set aside and quash the order, dated 02-10-2012, passed by the Collector, Nalanda, and direct that the Collector, Nalanda shall undertake afresh exercise to determine if the seized samples has been manufactured by the petitioner Company. Depending Upon the answer which may be found by the Collector, Nalanda, he shall pass such further or other orders, in accordance with law, as may be warranted in the facts and circumstances of the case." इस न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में समाहर्ता, नालन्दा ने पुनः दिनांक- 11.02.2016 को आदेश पारित किया है जिसके विरुद्ध आवेदक पुनः इस न्यायालय में वर्तमान वाद दाखिल किये है।	

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	सुनवाई के क्रम में आवेदक ने लगभग वहीं तर्क दिया जो पूर्व पुनरीक्षण वाद 33/2012 के सुनवाई के समय दिये थे। विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने वर्तमान Revision के Maintainability पर ही प्रश्न उठाये है। उनका तर्क है कि Excise Act की धारा 8(2) में प्रावधान किया गया है कि समाहर्ता के आदेश के विरुद्ध अपील उत्पाद आयुक्त के समक्ष किया जायेगा। आवेदक ने उत्पाद आयुक्त के समक्ष अपील दायर नहीं किये है एवं साथ ही कोई ठोस आधार ही बताये हैं कि उन्होंने अपील उत्पाद आयुक्त के समक्ष अपील क्यों नहीं किया है एवं इस कारण से यह Revision Maintainable नहीं है। दूसरा तर्क दिये कि यह न्यायालय अपने पूर्व आदेश 17.02.2014 द्वारा आवेदक द्वारा उठाये गये सभी तर्कों से असहमत होते हुए आदेश पारित किये है अतः पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करना अपने पूर्व के आदेश का Review होगा जो न्यायोचित नहीं होगा। सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि Revision Maintainable नहीं है आवेदक को उत्पाद आयुक्त के यहाँ अपील दायर करना चाहिए। अतः पुनरीक्षण वाद खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।  (सुनिल कुमार सिंह) अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार।	